इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

37752 - महिला से लगातार निकलने वाला स्नाव रोजे को प्रभावित नहीं करता है

प्रश्न

अगर पानी जैसा पारदर्शी स्नाव निकलता है (जो सूखने के बाद सफेद रंग का हो जाता है), तो क्या हमारी नमाज़ और हमारा रोज़ा सही (मान्य) है? और क्या इससे ग़ुस्ल अनिवार्य हो जाता है? कृपया मुझे इसके बारे में बताएँ। क्योंकि यह स्नाव (तरल पदार्थ) मुझसे बहुत निकलता है और मैं इसे अपने अंडरवियर में पाती हूँ और मैं दिन में दो या तीन बार ग़ुस्ल करती हूँ ताकि मेरा रोज़ा और मेरी नमाज़ सही हो।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

यह स्नाव महिलाओं से बहुत अधिक निकलता है। यह पाक (शुद्ध) है, नापाक (अशुद्ध) नहीं है, और इसकी वजह से गुस्ल अनिवार्य नहीं होता है।

इससे केवल वुज़ू टूटता है।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया :

"इस मामले पर शोध और अनुसंधान के बाद, मुझे यह प्रतीत होता है कि महिला से निकलने वाला स्नाव अगर मूत्राशय से नहीं निकलता है, बल्कि गर्भाशय से निकलता है, तो यह पाक है ...

यह पवित्रता (तहारत) की दृष्टि से इस स्नाव का हुक्म है कि वह पवित्र (ताहिर) है और कपड़े या शरीर को अशुद्ध नहीं करता है।

जहाँ तक वुज़ू की दृष्टि से, उसके हुक्म का संबंध है, तो वह वुज़ू को तोड़ने वाला है, सिवाय इसके कि वह उससे निरंतर स्नाव होता हो, तो वह वुज़ू को नहीं तोड़ेगा। लेकिन महिला को नमाज़ के लिए तब तक वुज़ू नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसका समय न शुरू हो जाए और उसे पैड का उपयोग करना चाहिए।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

लेकिन अगर यह (स्नाव) रुक-रुक कर होता है (अर्थात कभी होता है और कभी बंद हो जाता है) और यह आमतौर पर नमाज़ के समय बंद हो जाता है, तो वह नमाज़ को उस समय तक विलंब कर देगी जिसमें वह स्नाव बंद हो जाता है, जब तक कि उसे नमाज़ के समय के निकलने का डर न हो। अगर उसे डर है कि (विलंब करने से) नमाज़ का समय निकल जाएगा, तो वह वुज़ू करेगी और (डायपर या लंगोट आदि द्वारा) संरक्षित होकर नमाज़ पढ़ेगी। तथा उसकी थोड़ी या बहुत मात्रा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यह सब ही (पेशाब के) रास्ते से निकलने वाला है। इसलिए वह वुज़ू को तोड़ने वाला है, चाहे कम हो या अधिक।" उद्धरण समाप्त हुआ।

"मजम्ओ फतावा इब्ने उसैमीन" (11/284).

"संरक्षित होने" का मतलब है कि वह इस स्नाव के उत्सर्जन को कम करने के लिए, तथा कपड़े और शरीर पर उसे फैलने से रोकने के लिए योनि में कपड़े या रुई का टुकड़ा आदि रख लेगी।

इसके आधार पर . . इस स्नाव के कारण ग़ुस्ल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथा यह रोज़े को प्रभावित नहीं करता है। जहाँ तक नमाज़ का संबंध है, तो हर नमाज़ के लिए उसके समय के प्रवेश करने के बाद वुज़ू करना अनिवार्य है, यदि इसका स्नाव निरंतरता के साथ हो रहा है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।